संख्या- 86/2018/731/71-1-2018-जी-51/2017

प्रेषक

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूॅजी लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झॉसी, मेरठ तथा गोरखपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों हेतु मानक मद-25-लघु निर्माण कार्य तथा मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3845, दिनॉक 15-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूॅजी लेखा पक्ष में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य मद में राजकीय मेडिकल मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में रू0 36.46 लाख तथा पैरा मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में रू0 20.00 लाख कुल रू0 56,46,000/- (रू0 छप्पन लाख छियालीस हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झॉसी, मेरठ तथा गोरखपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों हेतु मानक मद-25-लघु निर्माण कार्य तथा मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में कुल रू0 56,46,000/- (रू0 छप्पन लाख छियालीस हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-29-सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा-25-लघु निर्माण कार्य-30-लाला लाजपत राय चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय, कानपुर-25-लघु निर्माण कार्य-31-न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय बाल चिकित्सालय, इलाहाबाद-25-लघु निर्माण कार्य-34-महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय-25-लघु निर्माण कार्य-35-सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षणा चिकित्सालय, मेरठ-25-लघु निर्माण कार्य-36-नेहरू चिकित्सालय, गोरखपुर-25-लघु निर्माण कार्य-41-मेडिकल कालेज, मेरठ-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-928/दस-2018, दिनॉक 29 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

संख्या:- 86/2018/731 (1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झॉसी, मेरठ, गोरखपुर।
3- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झॉसी, मेरठ, गोरखपुर।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झॉसी, मेरठ, गोरखपुर।
5- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।